उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-3
संख्या-9/2015/359/47-का-3-2015-9/17/94
लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कार्मिक अनुभाग अनुभाग-3 नियुक्ति सचिव शाखा उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1696/47/का-3/2014-13/94-99, दिनांक 20.06.2014 जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014 का पृष्ठांकन के साथ मुद्रण कराये जाने के संबंध में है, के मुद्रण हेतु संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उततर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ के पक्ष में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित बीजक संख्या, दिनांक तथा धनराशि के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	**बीजक**	**दिनांक**	**धनराशि**
1	2	3	4
1.	964/2014	11.11.2014	1464.00
			(रूपया एक हजार चार चौ चौसठ मात्र)

2- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ उ0प्र0 को किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय मुख्य-18 प्रकाशन के नामे डाला जायेगा।

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-9/2015/359(1)/47-का-3-2015-9/17/94, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) को देयकों की तीन प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त धनराशि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ उ0प्र0 के पक्ष में उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।
5- सचिवालय प्रशासन अनुभाग (लेखा) बजट, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in